(20)

न्यायालय अनुविभागीय अधिकारी बिल्हा, जिला बिलासपुर (छ0ग0)

प्रारूप – 05

(देखिए नियम 12)

कालोनी के विकास की अनुमति

अनुमति क्रमांक – 01 राजस्व प्रकरण क्रमांक 10/ब–121/2020–21

क्रमांक/325/ अ0वि0अ0/वाचक–3/2020 बिल्हा, दिनांक 28.06.2021

छत्तीसगढ़ पंचायत राज अधिनियम 1993 (क्रमांक 1 सन् 1999) और उसके अंतर्गत निर्मित छत्तीसगढ़ ग्राम पंचायत (कालोनाईजर का रजिस्ट्रीकरण निर्बन्धन तथा शर्ते) नियम 1999 के अधीन निम्नलिखित शर्तो के अध्यधीन रहते हुए **आवेदक श्री सांई बिल्डकॉन द्वारा भागीदार 1. सोहिल अग्रवाल पिता श्री नंदकिशोर अग्रवाल निवासी परिजात एक्शटेंशन नेहरू नगर बिलासपुर तहसील बिलासपुर 2. हरपाल छाबड़ा पिता किशन चंद छाबड़ा निवासी बोदरी तहसील बिल्हा 3. ईश्वर प्रसाद यादव पिता रामगोपाल यादव निवासी घुरू तहसील तखतपुर जिला बिलासपुर छ0ग0 को ग्राम धमनी** प.ह.नं. 07 तहसील बिल्हा जिला बिलासपुर की भूमि **ख.नं. 852/1 में से 0.31 ए0, ख0नं0 866/1 रकबा 0.42 ए0, ख0नं0 867/1 रकबा 0.40 ए0, ख0नं0 867/2 रकबा 0.40 ए0, ख0नं0 873 रकबा 0.32 ए0, ख0नं0 874/3 रकबा 0.58 ए0, ख0नं0 875/1 रकबा 0.45 ए0, ख0नं0 891 रकबा 0.36 ए0 कुल रकबा 3.24 ए0** पर ले आउट अनुसार उल्लेखित **भू–खंड कमांक 27 से 39, 41, 42, 43, 50, 51 कुल भूखण्ड 18 कुल रकबा 19139 वर्गफीट** भूमि को बंधक रखते हुए कालोनी विकास कार्य प्रारम्भ करने की अनुमति निम्नलिखित शर्तो पर दी जाती है:–

1. रियल स्टेट रेगुलेटरी अथोरिटी छत्तीसगढ़ (CG-RERA) से पंजीयन कराना आवश्यक होगा।
2. छत्तीसगढ़ भू–राजस्व संहिता 1959 की धारा 172 में कथित भू– व्यपर्वतन की शर्तो का पालन करना होगा।
3. छत्तीसगढ़ नगर तथा ग्राम निवेश अधिनियम 1973 के अधीन प्राप्त विकास अनुज्ञा की शर्तों का पालन करना होगा।
4. आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग के भूखण्डो/भवनों का विकास/निर्माण प्रथमतः कराना होगा।
5. छत्तीसगढ़ पंचायत राज अधिनियम 1993 (क्रमांक 1 सन् 1999) और उसके अंतर्गत निर्मित छत्तीसगढ़ ग्राम पंचायत (कालोनाईजर का रजिस्ट्रीकरण निर्बन्धन तथा शर्ते) नियम 1999 के नियम 13 के अनुसार कॉलोनी विकास की अनुमति जारी दिनांक से 3 वर्ष की अवधि के भीतर आंतरिक विकास कार्य पूर्ण करना अनिवार्य होगा।
6. कालोनी विकास पूर्ण करने के पश्चात समस्त जानकारी सहित इस कार्यालय में प्रस्तुत करना होगा।
7. कॉलोनी के बाहय विकास कार्य 01 वर्ष के भीतर पूर्ण किया जावेगा।
8. भूमि स्वामी को भूमि विकय की अनुमति के पश्चात ही विकय करने का अधिकार रहेगा।
9. किसी के सूखाचार प्रभावित न हो इस बात का ध्यान रखा जावे।
10. बंधक भूमि को मुक्त किये जाने के पश्चात ही निर्माण एवं विकय करने का अधिकार रहेगा।
11. शासकीय भूमि पर किसी प्रकार का अतिक्रमण नही करेगा और न ही किसी अन्य की भूमि का विकास कार्य करेगा।
12. अनुमोदित नक्शा जिसमें ई0डव्ल्यू0एस0 एवं बंधक प्लाट्स प्रदर्शित है स्थल के बाहर दृष्टिगोचर स्थान पर प्रदर्शित करना अनिवार्य होगा।
13. ई.डब्लू.एस. एवं बंधक रखे गये भू खण्ड कमांक की दैनिक समाचार पत्र मे प्रकाशन करवाकर कार्यालय को 15 दिन के भीतर प्रस्तुत करे।

उपरोक्तानुसार शर्तो का उल्लंघन करने पर समुचित/अनुमति निरस्त करने की कार्यवाही की जावेगी।

स्थान – बिल्हा

जारी दिनांक– 28.06.2021

(अखिलेश साहू)

अनुविभागीय अधिकारी (रा0)

बिल्हा, जिला बिलासपुर (छ0ग0)

[Seal: अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व) बिलासपुर (छ.ग.)]

[Stamp: अनुविभागीय अधिकारी (रा.) बिल्हा जि. बिलासपुर (छ.ग.)]

पृ.क्रमांक/ / अ.वि.अ./रीडर 03/2020

प्रतिलिपि :–

1. जिला पंजीयक बिलासपुर /उप पंजीयक बिल्हा को सूचनार्थ।
2. नायब तहसीलदार बिल्हा को सूचनार्थ।
3. ग्राम पंचायत धमनी को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु अग्रेषित।
4. पटवारी हल्का नंबर 07 ग्राम धमनी को सूचनार्थ एवं पालनार्थ।
5. **आवेदकगण श्री सांई बिल्डकॉन द्वारा भागीदार सोहिल अग्रवाल वगै0** को सूचनार्थ प्रेषित।

[Stamp: Shri Sai Buildcon Partner]

(अखिलेश साहू)

अनुविभागीय अधिकारी (रा0)

[Stamp: अनुविभागीय अधिकारी (रा.) बिल्हा, जि.बिलासपुर (छ.ग.)]